चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 97वीं बैठक की कार्यवाही ।

दिनांक: 8-9-1995 समय: 11.00 पूर्वान्ह

स्थान : समिति कक्ष, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।

उपस्थिति :

1- डा0 इन्द्र पाल सिंह यादव, कुलपति	- अध्यक्ष
2- डा0 हरि कृष्ण, विशेष सचिव (कृषि)	- सदस्य (कृषि सचिव के प्रतिनिधि)
3- श्री राजीव यादव, विशेष सचिव (उच्च शिक्षा)	- सदस्य (सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)
4- डा0 एस0एस0 सन्धु, संयुक्त सचिव (वित्त)	- सदस्य (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)
5- डा0 ए0के0 रहेजा, अतिरिक्त महानिदेशक (आई0सी0ए0आर0)	- सदस्य
6- प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह	- सदस्य
7- श्री हरि गोविन्द कुशवाहा	- सदस्य
8- श्री डी0पी0 सिंह, निदेशक पशुपालन	- सदस्य
9- श्री सुन्दर लाल, अर्थ नियन्त्रक	- सचिव

कुलपति एवं अध्यक्ष ने नये मनोनीत सदस्यों प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह एवं डा0 ए0के0 रहेजा का प्रथम बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया एवं आशा व्यक्त की कि हमारे नये सम्मानित सदस्य विश्वविद्यालय के रचनात्मक कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे ।

डा0 हरि कृष्ण, विशेष सचिव (कृषि) एवं डा0 एस0एस0 संधु, संयुक्त सचिव (वित्त) का कहना था कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक बहुत दिनों बाद बुलाई गयी है, इसके पूर्व बैठक दिनांक 23-12-1994 को हुयी थी । सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28-2-1995 को बुलाई गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से बैठक स्थगित करनी पड़ी । इसके बाद दिनांक 8-8-1995 को भी बैठक रखी गयी थी, इस बैठक को भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ा । इस पर सदस्यों ने कहा कि अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमित बैठकें बुलाई जांय ।

मद सं0-1: प्रबन्ध मण्डल की गत दिनांक 23-12-94 को सम्पन्न हुई 96वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने गत बैठक की कार्यवाही पर निम्न निर्देशों के साथ अनुमोदन प्रदान किया -

प्रस्ताव सं0-4: परीक्षा नियन्त्रक वेतनमान रु0 3000-4500 एवं स्टाफ आफिसर टू वाइस चांसलर वेतनमान रु0 3000-4500 के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेज कर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

---2

पूरक प्रस्ताव-4: विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद को स्थायीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने अपना अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्देश दिया था कि शासन के नियमों के अनुसार स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय, लेकिन बैठक में उपस्थित सदस्य श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव (कृषि) के मत के आधार पर श्री भास्करानन्द, उप सचिव कृषि ने अपने अ0शा0पत्र संख्या-1125/12-8-95-400(7)/94 दिनांक 1 अप्रैल, 1995 द्वारा लिखा है कि प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये, जो कार्यवृत्त में अंकित नहीं किया गया है । प्रबन्ध मण्डल को श्री भास्करानन्द के उक्त पत्र से अवगत कराया गया, इस पर सदस्यों ने कहा कि उनका मत अंकित कर दिया जाय । अतः श्री चन्द्र प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव (कृषि) के मत को दिनांक 23-12-94 की बैठक की कार्यवृत्ति में अंकित माना जाय ।

मद सं0-2 :वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के परीक्षण हेतु समिति का गठन एवं वर्ष के प्रथम तीन महीने (अप्रैल,95 से जून,95) के लिये लेखानुदान की स्वीकृति हेतु परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन ।

इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या इस परिचालन के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव (वित्त) की सहमति नहीं प्राप्त हुयी है, प्रबन्ध मण्डल के सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव (वित्त) की सहमति भी प्राप्त हो गयी है लेकिन यह सहमति कार्यवृत्ति जारी होने के बाद प्राप्त हुयी थी, अतः कार्यवृत्ति में सम्मिलित नहीं हो पायी थी । प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-3 :वित्त उप समिति की दिनांक 30-6-95 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवृत्त पर अनुमोदन ।

मद सं0-1वर्ष 1994-95 का वास्तविक व्यय एवं वर्ष 1995-96 के आय-व्यय का बजट जांच समिति द्वारा दिनांक 6-6-95को सम्पन्न हुयी बैठक की संस्तुति का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर अपेक्षा की कि फार्मों का बजट विवरण अलग करके प्रस्तुत किया जाना चाहिये, अतः इसे अगले वर्ष से अलग से बनाया जाय ।

विशेष सचिव (कृषि) डा0 हरे कृष्ण एवं संयुक्त सचिव (वित्त) डा0 एस0एस0 संधु ने मत व्यक्त किया कि बजट बहुत विलम्ब से प्रस्तुत हो रहा है, बजट 31 मार्च के पूर्व प्रस्तुत कर पारित करा लिया जाना चाहिये, उनके मत पर अन्य सदस्यों ने भी कहा कि अगले वर्ष से बजट 31 मार्च के पूर्व पारित करा लिया जाय ।

वित्त उप समिति द्वारा संस्तुत आकस्मिक व्यय रु0 447.00 लाख के मदवार विवरण की मदों में गत वर्ष के व्यय को देखते हुये निम्न संशोधन का प्रस्ताव किया -

	वित्त उप समित द्वारा संस्तुत (रुपये लाख में)	प्रबन्ध मण्डल द्वारा संशोधित (रुपये लाख में)
1- मजदूरी	160.00	140.00

विशेष सचिव (कृषि) एवं संयुक्त सचिव (वित्त) का मत था कि उक्त बचत फार्मों पर लगाये गये सीजनल लेवर की संख्या में कमी एवं फार्म मैकेनाइजेशन करके की जाय तथा उससे होने वाली बचत रु0

रु0 20.00 लाख से एक नई मद संख्या–39–फार्म मैकेनाइजेशन की बना ली जाय तथा फार्मों पर कृषि यन्त्रों को क्रय किया जाय जिससे मजदूरों की संख्या कम की जा सके तथा यह बचत संभव हो सके । क्रय किये जाने वाले यन्त्रों का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से ले लिया जाय ।

9– प्रकीर्ण	12.00	11.00	प्रकीर्ण में क्या–क्या व्यय किये जाते हैं, इसका विस्तृत विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।
13– भवनों, सड़कों का रख–रखाव	10.0	8.00	

14– बुक्स एवं जरनल्स : इस मद में पिछले वर्ष प्राविधान रु0 10.00 लाख का था जब कि व्यय मात्र रु0 3.09 लाख हुआ है, यह धनराशि क्यों व्यय नहीं की जा सकी, इसके कारणों के बारे में प्रबन्ध मण्डल की अगलीबैठक में सूचना दी जाये क्योंकि विश्वविद्यालय के लिये किताबों का क्रय करना एक अति महत्वपूर्ण विषय है । इस वर्ष प्राविधानित धनराशि रु0 10.00 लाख का सदुपयोग सुविचारित ढंग से एवं आवश्यकतानुसार सम्यक परीक्षणके उपरान्त किया जाय ।

15– मशीनरी एवं सज्जा	5.00	1.50
17– दाना–चारा	9.00	7.50
26– ट्रैक्टरों की मरम्मत	3.10	2.00

27– फार्म डेवलपमेन्ट – इस मद में कोई नया ट्रैक्टर न क्रय किया जाय ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त संशोधनों पर सहमति हेतु वित्त उप समिति को संदर्भित किया तथा निर्देश दिये कि यदि वित्त उप समिति इन संशोधनों से सहमत हैं तो बजट उक्त संशोधनों के साथ पारित माना जाय । यदि वित्त उप समिति इससे सहमत नहीं है तो प्रस्ताव को अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाय ।

वित्त उप समिति ने अपनी बैठक दिनांक 8–9–95 में प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तावित उक्त संशोधनों पर अपनी सहमति व्यक्त की (कार्यवृत्ति की प्रति संलग्न) ।

मद सं0–2 : विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की नियमावली पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर निर्देश दिये कि अन्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालयों में तथा उनके अधिनियमों/परिनियमों में क्या व्यवस्था है, आदि के साथ वित्त उप समिति पुनः विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

मद सं0–3 : Genetic studies performance of indegenous breeds (Ongole & Hariana) and their improvement through selection.

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्देश दिये कि चूँकि इसमें 25 प्रतिशत व्यय भार शासन को वहन करना है, अतः शासन का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

मद सं0–4 : विश्वविद्यालय में बीज विक्रय केन्द्र की स्थापना हेतु विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि फार्मों के पूर्ण विवरण (आय एवं व्यय) के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

---4

मद सं0-5: कुलपति के सभाकक्ष की मरम्मत एवं साज-सज्जा कराने के लिये रु0 4.00 लाख के व्यय का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-6: पशु चिकत्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के फार्माकोलाजी विभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत "एडवान्स स्टडीज केन्द्र" स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-7: प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित शुल्क, प्रश्न पत्र, अभ्यार्थियों की पात्रता तथा पारिश्रमिक आदि जो कि विद्वत परिषद के प्रस्ताव सं0-983 दिनांक 4-9-94 द्वारा अनुमोदित है, के सम्बन्ध में विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति के निर्देशानुसार प्रस्ताव वित्त उप समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

मद संख्या-8 : चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के उन वाहन चालकों को, जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी सरकारी कार्य करना पड़ता है, उन्हें उनकी कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 दिन के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति के अनुसार सहमति प्रदान करते हुये प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये ।

मद संख्या-9: विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान के अन्तर्गत सत्र 1995-96 से "फेमिली रिसोर्स मैनेजमेन्ट" विषय में एम0एस-सी0 स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये ।

मद संख्या-10: प्रशासनिक अधिकारी को नि:शुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समित की संस्तुति के अनुसार प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिये ।

मद संख्या-12: नये प्रवेश पाये छात्र/छात्राओं के काशन मनी रु0 100/- के स्थान पर रु0 300/- एवं अन्य विभिन्न शुल्क जमा कराये जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या-13: चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वाहन चालकों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में लिये गये विशिष्ट निर्णय के अन्तर्गत कृषि विभाग के वाहन चालकों की भाँति वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर सहमति प्रदान करते हुये निर्देश दिये कि प्रस्ताव शासन को भेजकर आदेश प्राप्त कर लिये जाय ।

मद संख्या-25 : Accepting the grant offered by different organisation for conducting research work on insect, pests and field rats in the department of Entomology.

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुशंसा पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0-27: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत गृह विज्ञान विभाग की डा0 (कु0) पूनम अग्रवाल, सह-प्राध्यापक के अधीन "इम्प्रूवमेन्ट इन न्यूट्रीशनल स्टेटस आफ फार्म ओमेन इन टर्म्स आफ आइरन एण्ड इनर्जी" नामक एडहाक शोध योजना का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की संस्तुति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0-28 : विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर एवं केन्द्रीय इन्स्ट्रूमेनटेशन केन्द्रों की स्थापना ।

प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया तथा वित्त उप समिति की संस्तुति के अनुसार निर्देश दिये कि सरेन्डर किये जाने वाले पदों के विस्तृत विवरण के साथ पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव :

पूरक - 1 : Regarding placement of "All India Coordinated Project on Agrometeorology."

प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि योजना को सरप्लस स्टाफ से चलाया जाय, यदि सरप्लस स्टाफ नहीं है तो नियुक्तियां कान्ट्रेक्ट पर की जाय । वित्त उप समिति की अनुशंसा के अनुसार यह भी निर्देश दिया कि इस पर शासन का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

पूरक - 2 : भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत 6 माह की शोध परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति की अनुसंशा के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्देश दिये कि योजना में उल्लिखित पदों पर नियुक्तियां निर्धारित अवधि तक के लिये ही की जाय ।

प्रबन्ध मण्डल ने वित्त उप समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव मद संख्या 11, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 व 26 को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ।

मद सं0-4 : कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियमों में अध्यापकों को सत्रांस अर्थात 30 जून तक सेवा में विस्तार दिये जाने का प्राविधान ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि परिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव कुलाधिपति को भेजने के पूर्व शासन का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।

मद सं0-5 : राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात दो वर्ष का सेवा विस्तार ।

प्रबन्ध मण्डल ने विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ।

मद सं0-6 : विश्वविद्यालय के नियुक्तियों में आरक्षण के शासनादेशों को लागू करना ।

प्रबन्ध मण्डल ने विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में आरक्षण के समस्त शासनादेशों को लागू करने हेतु परिनियम के अध्याय-13 में विद्वत परिषद द्वारा पारित संशोधन के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

---6

मद सं0–7: डा0 राजेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग को अवकाश स्वीकृत किये जाने विषयक ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त प्रस्ताव पर निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण को मेडिकल बोर्ड को संदर्भित किया जाय ।

मद सं0–8: श्री शैलेश कुमार शर्मा, सह–प्रशिक्षक (कृषि अभियान्त्रिकी) का त्याग पत्र दिनांक 7–6–95 के अपरान्ह से स्वीकृत किये जाने विषयक ।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री शैलेश कुमार शर्मा का त्याग पत्र पर इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन पर विश्वविद्यालय का कुछ भी बकाया नहीं है ।

मद सं0–9: विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–23 में आंशिक संशोधन हेतु प्रस्ताव ।

इस प्रकरण पर सदस्यों ने गहन विचार विमर्श किया । डा0 हरि कृष्ण, विशेष सचिव का मत था कि भारत सरकार से कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य संचालन हेतु माडल एक्ट भेजा गया है और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में परिवर्तन की कार्यवाही चल रही है । अतः इस संशोधन पर उस समय शासन स्तर पर विचार कर लिया जायेगा परन्तु अन्य सभी सदस्यों ने प्रस्ताव के पैरा (ए) को छोड़ते हुये धारा–23 में निम्न संशोधन पर अपना अनुमोदन प्रदान किया ।

Existing	Amended
If any question arises wheter any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be a member of any authority of the University subordinate to the Board or whether any decision of the University or any authority subordinate to the Board is in conformity with this act and the Statutes the matter shall be referred to the (Kuladhipati) whose decision thereon shall be final.	If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as or is entitled to be a member of any authority of the University subordinate to the Board or whether any decision of the University or any authority subordinate to the Board is in conformity with this act and the Statutes the matter shall be referred to the (Kuladhipati) whose decision thereon shall be final. Provided that no reference under this section shall be made. by any person other than a person aggrieved:

अतः उक्त प्रस्ताव बहुमत के आधार पर अनुमोदित हो गया ।

मद सं0–10: **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय के कानपुर प्रांगण में पराग मिल्कबार की स्थापना ।**

इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल ने समुचित किराये पर, जो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर तय करेगा, 6×6 मीटर भूमि देने के लिये अनुमोदन प्रदान किया ।

मद सं0–11: **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 96वीं बैठक दिनांक 23–12–94 को सम्पन्न हुय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।**

प्रबन्ध मण्डल को 96वीं बैठक दिनांक 23–12–94 को सम्पन्न हुयी बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया । सदस्यों ने जानना चाहा कि विद्युत बकाये की धनराशि रु0 3,17,611.26 में से कितनी वसूली हो गयी है, इस संदर्भ में अवगत कराया गया कि अब तक लगभग रु0 2.00 लाख की कटौती की जा चुकी है । प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिये कि शेष धनराशि की वसूली भी शीघ्र की जाय साथ ही वर्तमान वसूली भी नियमित रुप से सुनिचित की जाय ।

प्रबन्ध मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि बैठकों में प्रबन्ध मण्डल द्वारा जो निर्देश दिये जाते हैं, उसका अनुपालन कराने हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों को लिखा जाता है लेकिन वे अपेक्षित ध्यान नहीं देते, नतीजा यह होता है कि प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अनुरुप सूचना अगली बैठक में प्रस्तुत नहीं हो पाती । सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया तथा आदेश दिये कि सूचना मांगते समय अधिकारियों को स्पष्ट रुप से लिख दिया जाय कि यदि वे 15 दिन के अन्दर सूचना नहीं देते तो उनके विरुध्द विभागीय कार्यवाही की जायेगी तथा ऐसे प्रकरणों को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अगली होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

दिनांक 10–10–94 की बैठक के मद सं0 पूरक–4 पर प्रबन्ध मण्डल ने राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ से पदों के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी थी । इस सम्बन्ध में राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों ने अवगत कराया कि आफसेट आपरेटर के स्थान पर वेतनमान रु0 1320–2200 में आफसेट मशीन आपरेटर का पद विद्यमान है । प्लेट मेकर व फीडर मैन का कोई पद विद्यमान नहीं है । इस पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिये कि उक्त सूचना के साथ नये सिरे से प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जाय ।

मद सं0–12: **अवकश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में बृध्दि का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने निर्देश दिया कि प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाय ।

मद सं0–13: **डा0 आर0पी0 सिंह, प्रोफेसर पोल्ट्री साइंस को दिनांक 6–7–95 से एक वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने विशेष परिस्थिति में डा0 आर0पी0 सिंह का धारणाधिकार दिनांक 5–7–96 तक के लिये बढ़ाये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

----8

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव :

पूरक–1 : **भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर को 1.65 हेक्टेयर भूमि हस्तान्तरित करने हेतु प्रस्ताव ।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन प्रदान किया एवं निर्देश दिये कि प्रस्ताव शासन को भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल